

01/3/17

पत्रावली पेश हुई। वकील प्राची एवं सचयं प्राची अनुपस्थित
 प्रतिवादी सम्बन्ध 5 व उनके वकील अनुपस्थित। उन्हें वाट-कार
 आवारे लगवाई गई लेकिन इजलास वक्त तक बावजूद
 आवारे लगवाने के कोई उपस्थित नहीं आया। उस पर जल्दगी
 सं. 107 के वकील ने वाद खारिज करके का निपटारा किया।
 मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रतिवादी
 सं. 6 की तलवी हेतु 20000 तलवाब नोटिस एव वाद शर्त
 के लिए वकील प्राची द्वारा दि. 11-11-2011 से अवलोकन समय
 लिया जाता रहा है लेकिन आडिकठ नोटिस तलवाब अदा
 नहीं किया है (अन-उकरो) अदक पैरवी अदक लाजिमी एवं
 आदेश 7 निम्न 9 जा 10 के उपबन्धों की पालना में असफल
 रहे से आदेश 7 निम्न 11 (क) जा 10 सीमा की वहत खारिज
 किया जाता है जिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही।

उपखण्ड अधिकारी
 मसूदा (अजमेर)

